न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/137/2024 रजू दिनांकः 17.09.2024 रजि0 न0 2024/246

अपीलार्थीः—

श्री पदमसिंह चौहान पुत्र महावीर सिंह चौहान, निवासी ग्राम सालपुरी, पोस्ट भजीट, तहसील व जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 04.11.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्रांक य0आई0टी0/आर0टी0आई/2024/6977 दिनांक 23.10.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी पदमसिंह चौहान पुत्र महावीर सिंह चौहान, नि0 ग्राम सालपुरी, पोस्ट भजीट, अलवर द्वारा आवेदन क्रमांक 5950/27.09.2024 दिनांक 27.09.2024 में मंगलम रेजिडेन्सी सोसायटी से संबंधित सूचना चाही गई थी, न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 6252 दिनांक 04.10.2024 से सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 8(1)ई परपक्षीय होने की सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. हमने अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत किए गए तथ्यों, प्रथम आवेदन दिनांक 27.09.2024 एवं इस परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब 6252/04.10.2024 का विधिक परीक्षण/अवलोकन किया। अपीलार्थी मंगलम रेजिडेन्सी सोसायटी, सामोला चौक अलवर की सम्पूर्ण रजिस्ट्रेशन, समस्त नक्शे व सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति चाही गई है। वांछित सूचना, वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना होने, व्यक्तिगत सूचना, जिसका पृकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंधित नहीं होने एवं तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)ई, 8(1)जे एवं धारा 11 के प्रकाश में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अतः अपील अपीलांट खारीज किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चिय उचित एवं पर्याप्त है। अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)